बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या	13 / 2015–16
(1) परिचयात्मक	
(क) अंकेक्षित लेखा का नाम –	:– जिला पुलिस अधीक्षक गोपालगंज, के राजस्व प्राप्ति से संबंधित लेखा का अंकेक्षण।
(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधिः–	वर्ष 97–98 से 12–13 तक
(ग) प्रशासी विभाग का नामः–	गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना।
(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :–	–अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(ड़) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :– अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम, पदनाम :–	(i) श्री रिजवान अहमद, प्रधान लिपिक। (ii) श्री मणि कुमार ओझा, लेखा लिपिक।
(छ) वरीय अंकेक्षकों का नाम :–	(1) श्री अशोक कुमार ओझा, व0अं0–2 (2) श्री देवानन्द सिंह, व0अं0–2
(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि :–	26.05.2014
(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि :–	27.2.2015
(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस :–	30 कार्य दिवस।
(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–	– अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ग' पर अंकित हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

(i) अंकेक्षण के प्रकार :– राजस्व प्राप्ति का सामान्य अंकेक्षण।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग, का आदेश सं0 एवं तिथि :– मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश सं0 – 17 दिनांक–27.01.2014 एवं ज्ञापांक 08 दिनांक – 27.01.2014 के आदेशानुसार एवं विभागीय ज्ञापांक –3286 दिनांक 15.9.1960 के आलोक में उपलब्ध कटाये गये अभिलेख के आधार पर राजस्व प्राप्ति का सत्यापन कार्य किया गया।

(iii) कार्यालय का कार्य क्षेत्र – जनता की सुरक्षा प्रदान करना । साथ ही कार्यालय द्वारा विभिन्न बैंको एवं निजी इकाईयों एवं निजी व्यक्तियों एवं महानुभावों की सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्त किये गये पुलिस बल पर होने वाले व्यय (प्रतिनियुक्ति शुल्क) की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त की गयी राजस्व मद की राशि का सत्यापन उपलब्ध कराये गये अभिलेख से किया गया।

5. **वित्तीय स्त्रोंत** –

राजस्व मद में अंगरक्षक बैंक गार्ड दखलदहानी एवं नीलामी आदि श्रोतो से राजस्व प्राप्ति राशि।

6. **कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति** – शीर्ष 2055 पुलिस के अन्तर्गत वर्ष 97–98 से 2012–13 तक विभिन्न मदों / श्रोतों से राजस्व मद के अन्तर्गत राशि की प्राप्ति की गयी है। वर्ष 99–2000 से 2012–13 तक के प्राप्त राशि के जमा राशि का सत्यापन कोषागार अभिलेख / कम्प्यूटर / पेनड्राइव से शत् प्रतिशत् गया।

वर्ष 97–98 से 98–99 तक प्राप्त राशि के जमा राशि का सत्यापन कार्य कोषागार अभिलेख के अभाव में नहीं किया जा सका।

7. **महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति** – अंकेक्षण में अनुपालन प्रेषित नहीं किया गया है।

8. **वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति** – अंकेक्षण में अनुपालन प्रेषित नहीं किया गया।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

(1) जिला पुलिस अधीक्षक गोपालगंज के अन्तर्गत राजस्व मद में अंगरक्षक बैंक गार्ड दखलदहानी एवं नीलामी आदि श्रोतों से वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक सुरक्षा हेतु प्रतियुक्ति पुलिस बलों (उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर) होने वाले व्यय पर प्रतिनियुक्ति शुल्क के रूप में राशि प्राप्त की गयी है। प्राप्त राशि से संबंधित विवरणी परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है। कार्यालय द्वारा राजस्व मद का अलग से रोकड़ पुस्त का संधारण नही किया गया है

पुलिस बल प्रतिनियुक्ति पंजी कमान एवं अन्य अभिलेखों पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं कराये जाने के फलस्वरूप पुलिस बल की वास्तविक प्रतिनियुक्ति की संख्या एवं उससे प्राप्त होने योग्य प्रतिपूर्ति राशि की जानकारी अंकेक्षण को नहीं हो सकी।

सुझाव दिया जाता है कि प्रशासी विभाग वास्तविक प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रतिपूर्ति राशि की गणना कर शेष राशि की वसूली की जाए।

यह राजस्व मद से संबंधित लेखा का अंकेक्षण हैं अतः आवंटन / अनुदान का प्रश्न नहीं है।

2. रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नगद राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति :– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अनुरोध के बाबजूद अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि को नगद राशि का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। इस ओर प्रशासी विभाग का ध्यान आवश्यक कार्रवाई हेतु आकृष्ट किया जाता है।

3. रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति :– अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 26.5.14 को संवरण शेष के रूप में रू0 1706600.00 पाया गया जो निम्नवत् है :–

(i) स्थापना – 0.00

(ii) स्थायी अग्रिम – 50,250.00

(iii) प्रकीर्ण – 0.00

(iv) कार्यालय व्यय – 0.00

(v) वेतन – 16,56,350.00

4. अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत / कार्यरत / रिक्त पदों का विवरण :–

क्र०	पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक / कम (रिक्त)
1.	अनुसचिवीय कर्मचारी	13	06	07

भाग – 2

4. प्रतिपूर्ति राशि कम जमा के फलस्वरूप रू0 28,74,519.00 वसूली योग्य :–

(क) सुरक्षा गार्ड मद में एस0 बी0 आई0 गोपालगंज के पास प्रतिपूर्ति बकाया राशि रू0 1356807.00 वसूली योग्य :–

राजस्व मद के अन्तर्गत रसीद वही (आर0 सी0 बुंक) एवं रोकड़ पुस्त के सत्यापन क्रम में पाया गया कि एस0 बी0 आई0 गोपालगंज से दि0 – 13.1.12 से 31.03.13 तक के लिए बैंक सुरक्षा गार्ड मद में अंगरक्षक बही के अनुसार जनवरी 12 दिनांक 13.1.12 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए एक हवलदार एवं 4 अरक्षी की प्रतिनियुक्ति हेतु लिए रू0 583917.00 प्राप्त किया गया है। प्राप्त राशि का विवरण निम्नवत् है :–

(1) जनवरी 12 (19 दिन) दिनांक 13.1.12 से 31.7.12 तक रू0 39959/–	– 24491.00
(2) फरवरी 12 से मार्च 13 तक (माह रू0 39959/–प्रतिमाह)–	– 559426.00
	– 583917.00

उल्लेखनीय है कि ज्ञापांक जी 01 – 105/2011 गृ0आ0 551/ पटना दि0 13.1.12 के अनुसार सुरक्षा गार्ड प्रतिनियुक्ति दर में संशोधन किया गया है। संशोधन के पश्चात नये दर के अनुसार दि0 13.01.12 से 31.03.13 के लिए रू0 19,40,724.00 प्राप्त किया जाना चाहिए। लेकिन रूपया 17,56,807.00 (19,40,724.00 – 583917.00) कम प्राप्त किया गया है जो वसूली योग्य है।

बकाये राशि का विवरण निम्नवत है :–

मद	गार्ड की सं0	अवधि	दर	प्राप्ति योग्य राशि	प्राप्त राशि	बकाया राशि
0055	1+4 (एक हवलदार एवं चार आरक्षी)	13.1.12 से 31.3.13 तक (444 दिन)	879.00 प्रति दिन 1 हवलदार 873.00 प्रति दिन 1 आरक्षी 873×4 आरक्षी = 3492.00 प्रतिदिन	879×444 = 390276, 3492×444 = 1550448	583917.00	1356807.00
				1940724		

निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया। बताया गया कि राशि की वसूली हेतु बैंक को पत्राचाार किया जा रहा है।

(ख) सुरक्षा गार्ड मद में एस0 बी0 आई0 मीरगंज के पास रू0 13,56,807.00 बकाया राशि वसूली योग्य :–

राजस्व मद के अन्तर्गत रसीद वही (आर0 सी0 बुंक) एवं रोकड़ पुस्त के सत्यापन क्रम में पाया गया कि एस0 बी0 आई0 मीरगंज से दि0 – 13.1.12 से 31.03.13 तक के लिए बैंक सुरक्षा गार्ड मद में अंगरक्षक बही के अनुसार जनवरी 12 (दिनांक 13.1.12) से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए रू0 583917.00 प्राप्त किया गया है। प्राप्त राशि का विवरण निम्नवत् है :–

(1) जनवरी 12 दिनांक – 13.1.12 से 31.1.12 तक रू0 39959/– प्रतिमाह (19 दिन)	– 24491.00
(2) फरवरी 12 से मार्च 13 तक (14 माह रू0 39959/–प्रतिमाह)–	– 559426.00
	583917.00

उल्लेखनीय है कि ज्ञापांक जी 01 – 105/2011 गृ0आ0 551/ पटना दि0 13.1.12 के अनुसार सुरक्षा गार्ड प्रतिनियुक्ति दर में संशोधन किया गया है। संशोधन के पश्चात नये दर के अनुसार दि0 13.01.12 से 31.03.13 (444 दिन) तक के लिए रू0 19,40,724.00 प्राप्त किया जाना चाहिए। लेकिन रूपया 1356807.00 (19,40,724.00 – 583917.00) कम प्राप्त किया गया है जो वसूली योग्य है। बकाये राशि का विवरण निम्नवत है :–

मद	गार्ड की सं0	अवधि	दर	प्राप्ति योग्य राशि	प्राप्त राशि	बकाया राशि
0055	1+4 (एक हवलदार एवं चार आरक्षी)	13.1.12 से 31.3.13 तक (444 दिन)	879.00 प्रति दिन 1 हवलदार 873.00 प्रति दिन 1 आरक्षी 873×4 आरक्षी = 3492.00 प्रतिदिन	879×444 = 390276, 3492×444 = 1550448	583917.00	1356807.00
				1940724		

निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया। बताया गया कि बकाये राशि की वसूली हेतु बैंक से पत्राचाार किया जा रहा है।

(ग) सुरक्षा गार्ड (बडीगार्ड) मद में रू0 1,60,905.00 के संबंध में :–

वर्ष 2011–12 के रसीद वही (आर0 सी0 बुंक) एवं रोकड़ पुस्त के सत्यापन क्रम में पाया गया कि निजी व्यक्तियों को माँग के आधार पर सुरक्षा गार्ड दि0 – 13.1.12 से मार्च 2012 तक की अवधि के लिए अंगरक्षक बही के अनुसार अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति की गयी थी, जिसके विरूद्ध प्रतिपूर्ति राशि के रूप में श्री ब्रज किशोर सिंह से रू0 2430.00 एवं श्री रंजन

सिंह से रू0 24300.00 तथा श्री कृष्णा शाही से रू0 2430.00 एवं श्री बी0 के0 सुरेखा, सुगर मिल सिघवलिया से दिनांक 13.1.12 से फरवरी 2012 तक के लिए रू0 15000.00 अर्थात कुल रू0 87900.00 (23400.00 + 24300.00 + 24300.00 + 15000.00) प्राप्त किया गया है। परन्तु उक्त अवधि के लिए निर्धारित दर से कम दर पर प्रतिपूर्ति राशि जमा किये जाने के फलस्वरूप वास्तविक प्रतिपूर्ति राशि जमा नहीं पायी गयी।

उल्लेखनीय है कि ज्ञापांक जी 01 – 105/2011 गृ0आ0 551/ पटना दि0 13.1.12 में निहित निदेशानुसार सुरक्षा गार्ड प्रतिनियुक्ति दर में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया गया है। संशोधन के पश्चात नये दर के अनुसार उक्त अवधि में एक बडीगार्ड के प्रतिदिन के लिए प्रतिनियुक्ति दर रू0 873.00 किया गया है। संशोधन के फलस्वरूप दि0 13.01.12 से 31.03.12 तक 79 दिन के लिए श्री ब्रज किशोर सिंह से रू0 68967.00 (873.00 ×79 दिन) एवं श्री रंजन सिंह से रू0 68967.00 (873.00 ×79 दिन) तथा श्री कृष्ण शाही से रू0 68967.00 (873. 00 ×79 दिन) एवं श्री बी0 के सुरेखा से दि0 13.1.12 से फरवरी 12 तक 48 दिन के लिए रू0 41904.00 (873.00 ×48 दिन) अर्थात कुल रू0 248805.00 (68967.00 + 68967.00 + 68967.00 + 41904.00) प्राप्त किया जाना अपेक्षित था।

इस प्रकार श्री ब्रज किशोर सिंह से रू0 44667.00 (68967.00 – 24300.00) तथा श्री रंजन सिंह से रू0 44667.00 (68967.00 – 24300.00) एवं श्री कृष्णा शाही से 44667.00 (68967.00 – 24300.00) और श्री बी0 के सुरेखा से रू0 26904.00 (41904.00 – 15000.00) अर्थात कुल रू0 160905.00 कम प्राप्त किया गया। जो संबंधित व्यक्तियों से वसूली योग्य है।

उपर्युक्त उप कंडिका ''क'' ''ख'' एवं ''ग'' में सम्मिलित कम जमा प्रतिपूर्ति की राशि क्रमशः रू0 1356807.00 रू0 1356807.00 एवं रू0 160905.00 कुल रू0 2874519.00 संबंधित व्यक्तियों से वसूली योग्य है। वसूलीपरान्त अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाए।

(5) प्राप्त राशि 376125.10 के जमा से संबंधित अभिलेख अप्रस्तुत :–

सत्यापित किये जाने का सुझाव :–

राजस्व मद के अन्तर्गत रसीद वही (आर0 सी0 बुक) एवं रोकड़ पुस्त के सत्यापन क्रम में पाया गया कि वर्ष –97–98 में रू0 1,86,982.00 एवं वर्ष –98–99 में रू0 189143.10 अर्थात कुल रू0 3,76,125.10 प्राप्त किया गया है। प्राप्त राशि को रोकड़ पुस्त के अनुसार जमा दिखाया गया। लकिन जमा के प्रमाण में कार्यालय द्वारा चालान पंजी/चालान प्रति अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।

कोषागार में भी प्राप्त राशि के जमा राशि के सत्यापन हेतु कोषागार अभिलेख/प्रमाण – पत्र /बैंक स्कौल प्रस्तुत नहीं किया गया। अंकेक्षण को बताया गया कि कोषागार अभिलेख खोजा गया परन्तु उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप वर्ष –97–98 एवं वर्ष –98–99 में राजस्व मद के अन्तर्गत कुल प्राप्त राशि रू0 376125.10 जमा राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका।

वर्ष –97–98 एवं वर्ष –98–99 में प्राप्त राशि से संबंधित विवरणी परिशिष्ट "ड़" एवं "च" पर संलग्न है।

अतः प्रशासी विभाग / उच्चाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि उक्त प्राप्त राशि रू0 376125.10 के जमा का सत्यापन / जाँच / छानबीन अपने स्तर से की जाय एवं परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

भाग – 3

6. अंकेक्षण का मंतव्य :–

1. राजस्व प्राप्ति से संबंधित अलग से रोकड़ – पुस्त का संधारण किया जाना चाहिए।

2. रोकड़–पुस्त में प्राप्ति के संदर्भ में रसीद वही का पूरा क्रमांक अंकित किया जाना चाहिए।

3. रसीद वही पर रोकड़–पुस्त का पृष्ठ सं0 अंकित किया जाना चाहिए।

4. रसीद वही में प्राप्त राशि की अवधि / माह अंकित किया जाना चाहिए।

5. चालान पंजी में रोकड़–पुस्त का पृष्ठ संख्या अंकित किया जाना चाहिए।

6. अंगरक्षक वही में प्रत्येक माह / अवधि के प्राप्त राशि के संदर्भ में सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

15/01/16

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग,
बिहार, पटना।

मिलान एवं शुद्धि कर्त्ता का ह0
हेमा सिंह, व0अं0–2

परिशिष्ट ''क'' कंडिका 1 (घ) से संबंधित।

वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक के नियंत्री पदाधिकारी के नाम पदनाम एवं अवधि की विवरणी :–

क्र सं	नियंत्री पदाधिकारी का नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री अमरीक सिंह, निम्रवान	पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा	25.1.1996 से 15.5.1997
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद	पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा	16.5.97 से 1.12.1997
3	श्री रमेश चन्द्र सिन्हा	पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा	1.12.97 से 26.3.98
4	श्री छोटू राम पासवान	पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा	27.3.98 से 25.2.99
5	श्री अरूण कुमार वर्मा	पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा	25.2.99 से 26.4.99
6	श्री छोटू राम पासवान	पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा	26.4.99 से 19.3.2001
7	श्री मसूम अजीज क्राजमी	पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा	19.3.2001 से 23.12.2003
8	श्री गणेश प्रसाद यादव	पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा	23.12.2003 से 13.12.2004
9	श्री प्यूस अमृत कुमार वेक	पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा	13.12.2004 से 4.5.2006
10	श्री राम प्रवेश सिंह	पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा	05.05.2006 से 20.7.2007

11	श्री जगलाल चौधरी	पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा	20.7.2007 से 28.7.2007
12	श्री ब्रीधू श्रीनिवासन	पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा	28.7.2007 से 19.4.2010
13	श्री सुनील कुमार सिन्हा	पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा	19.4.2010 से 12.4.2011
14	श्री सुनील कुमार	पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा	14.04.11 से 28.03.12
15	श्री आलोक कुमार	पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा	28.3.12 से 21.1.2013
16	श्री आर0 मलार बिगही	पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा	21.1.13 से 26.3.2013
17	श्री विनोद कुमार	पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा	26.3.2013 से 31.3.13

परिशिष्ट "ख" कंडिका से संबंधित।		
वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक पुलिस अधीक्षक गोपालगंज के नाम एवं अवधि की विवरणी :–		
क्र सं	नाम	अवधि
1	श्री के एस मीना	1.4.97 से 4.9.97
2	श्री आर0 एस मही	5.9.97 से 22.4.98
3	श्री बलदेव प्रसाद	22.4.98 से 20.2.99
4	श्री विनय कुमार	21.2.99 से 15.4.99
5	श्री सी0 पी0 किरण	15.4.99 से 11.11.99
6	श्री मुरारी लाल मीना	11.11.99 से 7.6.2000
7	श्री संजीव कुमार सिंघल	7.6.2000 से 21.10.2000
8	श्री आर0 के0 मलिक	21.10.2000 से 29.11.2000
9	श्री जितेन्द्र कुमार	30.11.2000 से 12.1.2002
10	श्री सहाब अखतर	12.1.2002 से 28.12.2003
11	श्री अमृत राज	28.12.2003 से 28.2.04
12	श्री अनिल किशोर यादव	28.2.2004 से 22.12.05
13	श्री मेधनाथ राम	22.12.05 से 04.03.2006
14	श्री राकेश राठी	05.03.06 से 31.03.08
15	श्री अमृत राज	31.03.08 से 07.10.09
16	श्री के0 एस0 अनुपम	7.10.09 से 26.03.12
17	श्री निताशा गुड़िया	27.03.12 से 27.03.2013
18	श्री विनोद कुमार चौधरी	27.3.2013 से 31.3.14

परिशिष्ट "ख" कंडिका 1 (ड़) से संबंधित।		
निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक सह लेखा प्रभारी, जिला– गोपालगंज सूची :– दिनांक – 01.04.1997 से 31.3.2013 तक		
क्र सं	नाम	अवधि
1	एम के अंसारी	1.4.97 से 24.1.98
2	सिद्धेश्वर मंडल	24.1.98 से 04.03.2001
3	दिलन वाज अहमद	05.03.2001 से 12.10.01
4	सिद्धेश्वर मंडल	13.10.01 से 23.7.02
5	आनन्द कुमार सिंह	24.7.02 से 24.9.03
6	सत्य नारायण कुमार	24.9.03 से 30.06.04
7	राम कृष्ण पोद्दार	1.7.04 से 14.12.04
8	वीणा कुमारी	14.12.04 से 03.11.05
9	उमा शंकर प्रसाद	4.11.05 से 01.02.2006
10	वीणा कुमारी	02.02.06 से 30.08.2006
11	उमा शंकर प्रसाद	31.08.06 से 2.10.2007
12	अनिल कुमार	3.10.07 से 3.06.2010
13	मानिक चन्द चौधरी	04.06.10 से 30.09.12
14	निर्मला कुमारी	1.10.2012 से 31.03.13

लेखा लिपिक		
क्र सं	नाम	अवधि
1	लक्ष्मी कान्त यादव	1.4.97 से 31.01.2004
2	जगलाल	1.2.04 से 31.01.2005
3	ओम प्रकाश श्री वास्तव	01.02.2005 से 06.05.2007
4	मणि कुमार ओझा	07.05.2007 से 31.03.2013

प्रधान लिपिक		
क्र सं	नाम	अवधि
1	घ्रुव नारायण श्रीवास्तव	1.4.97 से 31.01.2000
2	चिन्द्रका ओझा	01.06.2000 से 31.01.2004
3	लक्ष्मीकान्त यादव	01.02.2004 से 21.11.11
4	रिजवान अहमद	22.11.11 से 31.03.2013 तक

परिशिष्ट " ग "

(कंडिका 1 "ट" से संबंधित)

प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1	रसीद वही	– वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक
2	रोकड़ पुस्त	– वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक
3	चालान (रेमिटेन्स) पंजी	– वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक
4	अंगरक्षक पंजी (आंशिक)	

अप्रस्तुत अभिलेखों की सूचि :–

1 चालान (रेमिटेन्स पंजी) पंजी – वर्ष 1997–98 से 99–00 तक

2 चालान की प्रति

3 सुरक्षा अभिलेख

4 अंगरक्षक बही (आंशिक)

5 रसीद वही भंडार पुस्त

6 बैंक पासबुक / चेक पंजी

7 पुलिस बल प्रतिनियुक्ति पंजी / कमान।

परिशिष्ट "घ" कंडिका 3 (1) से संबंधित।						
जिला पुलिस अधीक्षक गोपालगंज						
वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक राजस्व मद के अन्तर्गत प्राप्त राशि की विवरणी :–						
क्र सं	वर्ष	बडीगार्ड	दखल दहानी	बैंक गार्ड	अन्य (नीलामी)	कुल प्राप्त राशि
1	1997–1998	0.00	5,235.60	1,65,761.90	16,004.50	1,87,002.00
2	1998–1998	0.00	11,368.80	1,77,774.30	0.00	1,89,143.10
3	1999–2000	0.00	3,315.00	1,22,999.00	3,315.00	1,29,629.00
4	2000–2001	0.00	7,075.00	3,94,814.00	0.00	4,01,889.00
5	2001–2002	26,848.00	16,575.00	1,30,167.00	600.00	1,74,190.00
6	2002–2003	80,544.00	17,017.00	1,79,762.00	2,256.00	2,79,579.00
7	2003–2004	48,036.00	33,912.00	1,30,421.00	0.00	2,12,369.00
8	2004–2005	18,600.00	32,007.00	2,04,990.00	0.00	2,55,597.00
9	2005–2006	2,32,500.00	19,456.00	1,46,538.00	0.00	3,98,494.00
10	2006–2007	5,39,400.00	27,102.00	1,60,384.00	1,610.00	7,28,496.00
11	2007–2008	6,13,800.00	34,343.00	36,595.00	28,555.00	7,13,293.00
12	2008–2009	5,48,400.00	10,214.00	1,37,359.00	795.00	6,96,768.00
13	2009–2010	2,69,700.00	20,981.00	7,44,204.00	1,685.00	10,36,570.00
14	2010–2011	5,87,150.00	46,147.00	9,04,371.00	1,210.00	15,38,878.00
15	2011–2012	6,33,000.00	35,485.00	13,34,705.00	5,08,924.00	25,12,114.00
16	2012–2013	8,33,745.00	1,63,528.00	8,44,662.00	23,567.00	18,65,502.00

<table>
<tr><th colspan="4">परिशिष्ट ''ड़'' कंडिका 5 से संबंधित।</th></tr>
<tr><th colspan="4">कोषागार अभिलेख के प्रभाव में वर्ष 97–98 में जमा की गयी असत्यापित राशि रू0 186982.00 की विवरणी :–</th></tr>
<tr><th>क्र सं</th><th>आर0 सी0 संख्या</th><th>रोकड़ पुस्त की जमा तिथि</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2/2(4) 97</td><td>07-04-1997</td><td>720.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>6/6(4) 97</td><td rowspan="2">08-04-1997</td><td rowspan="2">24,423.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>7/7(4) 97</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2/2(5) 97</td><td>03-05-1997</td><td>12,211.50</td></tr>
<tr><td>5</td><td>10/6(5) 97</td><td>21-05-1997</td><td>720.00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>12/7(5) 97</td><td>03-06-1997</td><td>720.00</td></tr>
<tr><td>7</td><td>2/2(6) 97</td><td>20-06-1997</td><td>720.00</td></tr>
<tr><td>8</td><td>4/3(6) 97</td><td>03-07-1997</td><td>720.00</td></tr>
<tr><td>9</td><td>5/4(6) 97</td><td>03-07-1997</td><td>720.00</td></tr>
<tr><td>10</td><td>3/2(7)97</td><td>05-09-1997</td><td>15,751.00</td></tr>
<tr><td>11</td><td>4/3(7)97</td><td>17-07-1997</td><td>36,634.50</td></tr>
<tr><td>12</td><td>5/4(7)97</td><td>17-07-1997</td><td>5,716.40</td></tr>
<tr><td>13</td><td>3/2(8)97</td><td>14-08-1997</td><td>720.00</td></tr>
<tr><td>14</td><td>3/2(9)97</td><td rowspan="2">03-10-1997</td><td rowspan="2">24,931.00</td></tr>
<tr><td>15</td><td>4/3(9) 97</td></tr>
<tr><td>16</td><td>2/1(10)97</td><td>07-10-1997</td><td>195.60</td></tr>
<tr><td>17</td><td>3/2(10)97</td><td>07-10-1997</td><td>233.50</td></tr>
<tr><td>18</td><td>1/1(1) 98</td><td>09-01-1998</td><td>12,211.50</td></tr>
<tr><td>19</td><td>14/5(1) 98</td><td>03-02-1998</td><td>12,211.50</td></tr>
<tr><td>20</td><td>15/6(1) 98</td><td>03-02-1998</td><td>12,211.50</td></tr>
<tr><td>21</td><td>16/7(1) 98</td><td>03-02-1998</td><td>12,211.50</td></tr>
<tr><td>22</td><td>17/8(1) 98</td><td>03-02-1998</td><td>788.00</td></tr>
<tr><td>23</td><td>4/3(3) 98</td><td>05-03-1998</td><td>12,211.50</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>1,86,982.00</td></tr>
</table>

परिशिष्ट ''च'' कंडिका 5 से संबंधित।			
कोषागार अभिलेख के प्रभाव में वर्ष 98—99 में जमा असत्यापित राशि रू0 189143.00 की विवरणी :—			
क्र सं	आर0 सी0 संख्या	रोकड़ पुस्त की जमा तिथि	राशि
1	7/4(6) 98	24-06-1998	12,211.50
2	8/5(6) 98	24-06-1998	12,211.50
3	9/6(6) 98	24-06-1998	24,423.00
4	10/7(6) 98	24-06-1998	3,264.70
5	11/8(6) 98	24-06-1998	376.00
6	6/4(8) 98	18-08-1998	12,211.50
7	9/6(8) 98	03-09-1998	1,000.00
8	3/3(9) 98	03-09-1998	720.00
9	8/7(9) 98	22-09-1998	720.00
10	9/8(9) 98	24-09-1998	24,423.00
11	1/1(10) 98	15-10-1998	720.00
12	1/1(11) 98	03-11-1998	6,598.80
13	2/2(11) 98	12-11-1998	890.00
14	3/3(11) 98	12-11-1998	720.00
15	3/3(1) 99	09-01-1999	12,211.50
16	4/4(1) 99	09-01-1999	12,211.50
17	5/5(1) 99	09-01-1999	12,211.50
18	6/6(1) 99	09-01-1999	12,211.50
19	7/7(1) 99	05-02-1999	6,554.30
20	8/8(1) 99	13-01-1999	720.00
21	9/9(1) 99	13-01-1999	720.00
22	7/6(3) 99	24-03-1999	7,389.80
23	8/7(3) 99	24-03-1999	12,211.50
24	9/8(3) 99	24-03-1999	12,212.50
			1,89,143.10

वर्ष 1997—98 की राशि	1,86,982.00
वर्ष 1997—98 की राशि	1,89,143.10
कुल राशि	3,76,125.10